

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं• 229] No. 229] नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 23, 1996/श्रावण 1, 1918 NEW DELHI, TUESDAY, JULY 23, 1996/SRAVANA 1, 1918

दूरसंचार विभाग

अधिसूचन

नई दिल्ली, 22 जुलाई, 1996

सा.का.नि. 328(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुन्देद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और तार इंजीनियरी सेवा (समूह ''ख'' पद) भर्ती नियम 1981 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण के पहले किया गया था या करने का लोप किया गया है, दूरसंचार विधाग में दूरसंचार इंजीनियरी सेवा समूह ''ख'' पदों पर भर्ती की पहति का विनियमन करने ै लिए निम्मलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्य (1) हुन नियमों का संक्षिप्त नाम दूरलंचार इंजीनियरी सेवा (समृह "ख" पद) भर्ती नियम, 1996 है।
- 2. लागू होना. ये नियम इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्वम्भ (1) में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।
- 3. ये एकपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 4. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान स्वत पदों की संख्या, वनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे, जो वक्त अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 5. मर्ती की पद्धित, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं.—डक्त पदों पर भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ (14) में विनिर्द्ष्ट हैं।
 - 6. निरईता.-वह व्यक्ति-
 - (क) जिसने ऐरे: व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या
 - (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के शंवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परन्तु बदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुजेय है और ऐसा करने

के लिए अन्य आधार है तो वह किसी ध्यक्ति की इस नियम के प्रवर्तन से खूट दे सकेगी।

लोक सेवा आयोग से परांपशं करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

8. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियावर्ती पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

		٠
3132	1	١
W110		v

पद का नाम	पदों की संख्या व	ींकरण	वेतनमान	चयन पद अथदा अचयन पद	सीधे भर्ती किये जाने वाले के व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा प	
ी ठप मंडलीय इंचीनियर	2 *15000 (1996) ্ব্	3 संचार इंजीनियरी सेवा	2000-60-2300-	5 अचयन	6 लागू नहीं होता ्र	7 लागू नहीं होता
APPRIME MISSER PO		मूह "ख" राजपत्रित				
1796 OV96			(1)			

2	THE GAZETTE OF INDIA : E.	XTRAORDINARY		[PART II—SEC. 3(i)	
सीपे भर्ती किए जाने चाले व्यक्तियाँ के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और आवश्यक अईताएँ प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिचीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धतिः पर्ती सीधे होगी या प्रोन्ति। प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियाँ द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता		
8	Mar. 9 (100 - 100 -	10	71	9 /	
लाग् नहीं होता	लाग् नहीं होता	दो वर्ष	75%	सह-ठपयुक्तता के आधार प ता परीक्षा के आधार पर 25	
		- Carlotte Carlotte			
प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भ प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया र		यदि विभागीय प्रोन्नित समिति है तो उसकी संस्वना	की भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संब सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा		
12		13	14		
प्रोन्तरि:		समूह ''ख'' विभागीय प्रोन्नति समितिः	संघ लोक सेवा आ	योग से परामर्श करना	
(i) 75% कोटा के अधीन : ऐसे किन्छ वस श्रेणी में 3 वर्ष नियमित सेवा व	की है।	 सलाहकार दूरसंचार आयोग—अध्यक्ष उप महानिदेशक (कार्मिक)—सदस्य 	आवश्यक नहीं है।		
(ii) 25% कोटा के अभीन : ऐसी विभा पर जिसके लिए ऐसे कनिष्ठ दूरसंप इस श्रेणी में 5 वर्ष नियंमित सेवा व	बार अभिकारी पात्र होंगे जिन्होंने	(3) निदेशक (कर्मनारिवृन्द दू.सं.) — सदस्य			
टिप्पणीः	harde de Gare Berendar edende andrés				
	ोन्ति के लिए विभागीय प्रोन्ति समिति ल भारतीय पात्रता सूची के आधार पर	,			
 पात्रता निर्भारित करने के लिए निर्णा होगी जिसमें रिक्तियां संबंधित है। 					
 विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के लिए दूरसँचार आयोग समय समय पर वि 	हित करें]				
 वहां ऐसे किन्छ व्यक्तियों के संबंध सेवा पूरी कर ली है प्रोन्नित के लिए ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विच 	विचार किया जा रहा हो वहां उनके तर किया जाएगा वशर्ते कि उनके				
द्वारा की गई सेवा, अपेक्षित अर्हक/प से कम न हो और उन्होंने अपनी परि सफलता पूर्वक पूरी कर ली हो।	गत्रता संवा से एक वर्ष से अधिक बीसा की अविध यदि विदित हो				
			[स स्री.ही. गेहा,	॰ 2-40/94-एस टी जी-11	

UNICATIONS

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd July, 1996

G.S.R. 328(E).—In exercise of the powers conferred by the provise to Article 309 of the Constitution and in supersession of the Telegraph Engineering Service (Group "B" posts) Recruitment Rules, 1981, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment of the Telecommunications Engineering Service, Group "B" in the Department of Telecommunications, namely :-

1. Short title and commencement :-(1) These rules may be called the Telecommunications Engineering Service (Group "B" posts)

पदेन संयुक्त सचिव

Recruitment Rules, 1996.

2. Application:—These rules shall apply to the recruitment to the post specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

4. Number of the post, classification and scale of pay :-- The number of the said post, its classification, and the scale of pay shall be as specified in column (2) to (4) of the said schedule.

5. Method of recruitment, age limit and other qualifications :- The method of recruitment, age limit, qualification and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (14) of the aforesaid schedule.

6. Disqualifications :- No person-

(a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) Who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such corson to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- 7. Power to relax: Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- 8. Savings:—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Schedule Caste, the Schedule Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Scale of pay Rs.	Whether selec- tion or non- selection post	Age limit for direct recruits	Whether benefit of added years sorvice admissi- able	other qualifica-	Whether age and essential quali- fication prescrib- ed for direct recruits will apply in case of pro- motees
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Sub Divi- sional Engineer	to varia- tion dependen		2000-60-2300 EB-75-3200- 100-3500	- Non-selection	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable
	on workl	oad.						
							•	
Period of pro if any	bation,	Method of recru whether by direc cruitment or by motion or by de- tion/transfer and percentage of va- to be filled by va- methods	et re- deputat pro- promot puta- made of scancies	of recruitment by p ion/transfor, grades ion/deputation/trans	from which ti	f a Departmental Pricon Committee exist what is its composite the composite composite that the composite composite that the composite composite that the composite composite that the composite comp	ts Union Pu tion mission t	ances in which ablic Service Com- to be consulted in recruitments
10		11	e	12		. 13	14	1
2 years		Promotion: - (i) 75% on the b of seniority-cr fitness.	um- Junio	ion: or 75% quota or Telecom. Officer ar service in the gra	p with 3 years 1	Froup "B" Departm Fromotion Committe Adviser, Telecom Commission—Ch	e: Public Se not neces	tion with Union ervice Commission esary.
		(ii) 25% on the to of a department competitive of mination.	ntal On ti ka- tive o Telec	er 25% quota the basis of departments that is a department of the common	ental competi- ich Junior 3 3 years	Deputy Director (Pers.)—Member Director (Staff To com.)—Member.		

- Officers shall be held on the basis of an All India eligibility list at Head Quarter only.
- The crucial date for determining the eligibility shall be first of July of year to which the vacancies pertains.
- The Syllabus & Rules for conducting departmental competitive examination shall be such as the Telecom. Commission may prescribe from time to time.
- 4. Where junior who have completed their qualifying eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of requisite